न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का .... बनाम ....

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 68/2018 निर्णय दिनांक :- 13/4/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रिटपुरी की आ.ख.न. 206 कुल रकबा 0.66 किस्म जमीन गै०मु० रास्ता में से 0.01 रकबे पर श्री रामा S/o अहमदखां मेव पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर झुंपा/लकड़ी etc कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का रिटपुरी द्वारा दिनांक 14/2/18 .... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. रिटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी रामा S/o अहमदखां जाति मेव निवासी रिटपुरी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... मय वकील .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 206 रकबा 0.66 में से 0.01 रकबे किस्म गैमुरास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा मौरसायन को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 87paise का 50 गुणा 44/- (चवालीस) रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी रिटपुरी भू.अ.निरी. .... रिटपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)